



## इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, छ.ग.

क्रमांक: 524 / इ.क.सं.वि. / 2022 / सा.प्र.वि.

खैरागढ़, दिनांक 29 / 11 / 2022

// सूचना //

विश्वविद्यालय के आवास आबंटन हेतु सम्पन्न बैठक दिनांक 15.09.2022 के पद क्र. 5 में लिए गए निर्णय के परिपालन में विश्वविद्यालय द्वारा जारी सूचना क्र. 4054 / इ.क.सं.वि. / 2022 / सा.प्र.वि. दिनांक 30.09.2022 के तारतम्य में भवन आबंटन हेतु प्राप्त आवेदन पर प्राप्त अनुमोदन अनुसार विश्वविद्यालय परिसर क्र 02 में नव-निर्मित अंतरराष्ट्रीय छात्रावास में अधोलिखित आवेदकों को सूची में उनके नामों के समक्ष दर्शित अनुसार कक्ष आबंटित किया जाता है:-

क्र.	नाम	विभाग	कक्ष क्र.	रिमार्क
1	सुश्री अपर्णा सराठे	कथक विभाग	1	भूतल
2	डॉ. संध्या सिंह यादव	अंग्रेजी विभाग	2	भूतल
3	डॉ. दीपमाला हंस	गायन विभाग	3	भूतल
4	सुश्री सुप्रिया कुमारी	चित्रकला	4	भूतल
5	श्री रविन्द्र ठाकुर	तंत्रीवाद्य	1	प्रथम तल
6	श्री होरिल गौर	भरतनाट्यम	2	प्रथम तल
7	श्री उमेश कुमार	तंत्रीवाद्य	3	प्रथम तल
8	श्री मुकेश कुमार सार्वार्	अवनद्ध वाद्य	4	प्रथम तल
9	श्री रोशन कुमार	कथक	5	प्रथम तल
10	श्री दुष्यंत यादव	गायन	6	प्रथम तल
11	श्री झंकृत कुमार श्रीवास	गायन	7	प्रथम तल
12	श्री प्रातिक फुक्कन	तंत्रीवाद्य	8	प्रथम तल
13	श्री दीपक चन्द्रा	कथक	9	प्रथम तल

नियम एवं शर्तें:-

- 1 उपरोक्त भवन में परिवार/परिचितों को ठहरना वर्जित है।
- 2 किसी भी तरह के मादक पदार्थों का सेवन एवं धूम्रपान वर्जित है।
- 3 आबंटितों की सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके स्वयं की होगी।
- 4 आबंटितों से किराया प्रतिमाह रु 700/- (रुपये सात सौ मात्र) तथा जल एवं विद्युत शुल्क वेतन से विकलनीय होगा।
- 5 उपरोक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 6 विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की दशा में अथवा प्रशासन को आवश्यकता पड़ने पर आबंटित कक्ष को कभी भी रिक्त कराया जा सकता है।
- 7 उपरोक्त नियमों के पालन की प्रत्याशा में कक्ष आबंटित किया जाता है।

आदेशानुसार,

(प्रो.आई.डी.तिवारी)

कुलसचिव

पृष्ठांकन क्रमांक: 525 / इ.क.सं.वि. / 2022 / सा.प्र.वि.

खैरागढ़, दिनांक 29 / 11 / 2022

प्रतिलिपि:-

- 1 समस्त संबंधित अंबंटितों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2 प्रभारी भवन निर्माण की ओर आबंटन एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3 वित्त अधिकारी/प्रभारी लेखा की ओर उपरोक्त संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4 संबंधित विभागाध्यक्षगणों की ओर सूचनार्थ।
- 5 अध्यक्ष/सचिव कर्मचारी संघ की ओर सूचनार्थ।
- 6 प्रभारी कुलपति सचिवालय,
- 7 कुलसचिव कार्यालय,

(प्रो.आई.डी.तिवारी)

कुलसचिव